न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/97/2019

अशोक कुमार गुप्ता,न्यू सिविल लाईन्स महिला थाने के पास
म0 नं0 आर.382, भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री अशोक कुमार गुप्ता निवासी न्यू सिविल लाइन्स महिला थाने के पास म0नं0 आर.382 भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09.07.2019 को द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/814 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक/ 1609 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/1609 दिनांक 25.09.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र कमांक/1323 दिनांक 30.07.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगाराम)
जिला कलक्टर,
भरतपुर